रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 2, 2018/श्रावण 11, 1940
No. 263] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 2, 2018/SHRAVANA 11, 1940

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2018

विषय: दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2018 हेतु दिशानिर्देश

सं. 4-7/2016-डीडीआरसी (राष्ट्रीय पुरस्कार).—दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण एक अंतर-अनुशासनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें रोकथाम, शीघ्र पहचान, हस्तक्षेप, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण , पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण आदि जैसे विभिन्न पहलू सम्मिलित हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के खंड 24 में दिव्यांगजनों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं के निर्माण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम का खंड 39 अन्य बातों के साथ-साथ दिव्यांगजनों के कौशल, योग्यता और क्षमता तथा कार्यबल, श्रम बाजार और व्यावसायिक शुल्क में उनके योगदान की अग्रिम मान्यता के लिए जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार को अधिदेशित करता है ।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के उपर्युक्त प्रावधानों की भावना को ध्यान में रखते हुए, सरकार का दिव्यांगजनों के व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्यथा दिये गये योगदान/ कौशल को मान्यता देते हुये, एवं दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकारी और निजी निकायों द्वारा दिये गए योगदान को भी मान्यता देते हुये पुरस्कार प्रदान करने का प्रयोजन है।

इसलिए, ऐसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के सरकार के प्रयोजन को प्रभावी बनाने के लिए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करती है , नामतः-

1) (क) इन दिशानिर्देशों को "दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए दिशानिर्देश" कहा जा सकता है।

(ख) ये दिशानिर्देश भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए दिशानिर्देश:

21. पुरस्कारों का विश्लेषण एवं श्रेणियां: -

I.	**सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी/स्वनियोजित**		
संख्या	**उप-श्रेणी**	**पुरस्कारों की संख्या**	**पुरस्कारों के विवरण**
(i)	गतिविषयक दिव्यांगता (गतिविषयक दिव्यांगता, बहुदुष्पोषण दिव्यांगता, बौनापन, तेज़ाबी आक्रमण पीडित, कुष्ठ रोग मुक्त, प्रमस्तिष्क घात)	दो (एक पुरुष के लिए तथा एक महिला के लिए)	प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को पचास हजार रुपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र और एक पदक
(ii)	दृष्टिगत ह्रास (अंधता,निम्न दृष्टि)	दो (एक पुरुष के लिए तथा एक महिला के लिए)	वही
(iii)	श्रवण शक्ति का ह्रास (बधिर, कम सुनने वाला)	दो (एक पुरुष के लिए तथा एक महिला के लिए)	वही
(iv)	वाक् एवं भाषा दिव्यांगता (वाक् एवं भाषा दिव्यांगता)	दो (एक पुरुष के लिए तथा एक महिला के लिए)	वही
(v)	विकास विकार (स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार, विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता)	दो (एक पुरुष के लिए तथा एक महिला के लिए)	वही
(vi)	बौद्धिक दिव्यांगता (पहले मानसिक मंदता के रूप में जाना जाता था)	दो (एक पुरुष के लिए तथा एक महिला के लिए)	वही
(vii)	मानसिक व्यवहार (मानसिक रूग्णता)	दो (एक पुरुष के लिए तथा एक महिला के लिए)	वही
(viii)	रक्त विकार के कारण दिव्यांगता (हैमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिक्कल कोशिका रोग)	दो (एक पुरुष के लिए तथा एक महिला के लिए)	वही
(ix)	चिरकारी तंत्रिका दशाएं (बहु स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग)	दो (एक पुरुष के लिए तथा एक महिला के लिए)	वही
(x)	बहु दिव्यांगताएं (उपरोक्त व्यापक श्रेणियों में से किन्हीं दो या दो से अधिक दिव्यांगताएं)	दो (एक पुरुष के लिए तथा एक महिला के लिए)	वही
II.	**सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता तथा प्लेसमेंट अधिकारी या एजेंसी के लिए पुरस्कार**		
(i)	सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता	तीन - प्रत्येक के लिए एक: (i) सरकारी संगठन (ii) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या स्वायत्त या स्थानीय सरकारी निकाय (iii) निजी या गैर-सरकारी संगठन	प्रत्येक पुरस्कार प्राप्त कर्त्ता के लिए एक लाख रुपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र तथा एक पदक
(ii)	सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट अधिकारी /एजेंसी	दो - प्रत्येक के लिए एक: (i) स्वायत्त सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (ii) निजी या गैर-सरकारी संगठन/कार्यालय	प्रत्येक पुरस्कार प्राप्त कर्त्ता के लिए पचास हजार रुपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र, प्रमाणपत्र तथा एक शील्ड

III.	**दिव्यांगजनों के निमित्त कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तथा संस्था के लिए पुरस्कार**		
(i)	सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति	दो (व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक प्रत्येक के लिए एक)	प्रत्येक पुरस्कार प्राप्त कर्त्ता के लिए एक लाख रुपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र, एक प्रमाण पत्र
(ii)	सर्वश्रेष्ठ संस्थान	दो प्रत्येक के लिए एक: (i) दिव्यांगजनों को व्यापक तरीके से समग्र व्यापक सेवाएं प्रदान करने वाला एक संगठन और (ii) दिव्यांग बच्चों/व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले एक संगठन को	प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता के लिए दो लाख रुपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाणपत्र
IV.	**प्रेरणा स्रोत पुरस्कार**		
(i)	गतिविषयक दिव्यांगता (गतिविषयक दिव्यांगता, बहुदुष्पोषण दिव्यांगता, बौनापन, तेज़ाबी आक्रमण पीडित, कुष्ठ रोग मुक्त, प्रमस्तिष्क घात)	दो (एक पुरूष के लिए तथा एक महिला के लिए)	प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता के लिए एक लाख रुपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र, और एक प्रमाणपत्र
(ii)	दृष्टिगत ह्रास (अंधता,निम्न दृष्टि)	दो (एक पुरूष के लिए तथा एक महिला के लिए)	वही
(iii)	श्रवण शक्ति का ह्रास (बधिर, कम सुनने वाला)	दो (एक पुरूष के लिए तथा एक महिला के लिए)	वही
(iv)	वाक् एवं भाषा दिव्यांगता (वाक् एवं भाषा दिव्यांगता)	दो (एक पुरूष के लिए तथा एक महिला के लिए)	वही
(v)	विकास विकार (स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार, विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगता)	दो (एक पुरूष के लिए तथा एक महिला के लिए)	वही
(vi)	बौद्धिक दिव्यांगता (पहले मानसिक मंदता के रूप में जाना जाता था)	दो (एक पुरूष के लिए तथा एक महिला के लिए)	वही
(vii)	मानसिक व्यवहार (मानसिक रूग्णता)	दो (एक पुरूष के लिए तथा एक महिला के लिए)	वही
(viii)	रक्त विकार के कारण दिव्यांगता (हैमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिक्कल कोशिका रोग)	दो (एक पुरूष के लिए तथा एक महिला के लिए)	वही
(ix)	चिरकारी तंत्रिका दशाएं (बहु स्केलेरोसिस, पार्किंसंस रोग)	दो (एक पुरूष के लिए तथा एक महिला के लिए)	वही
(x)	बहु दिव्यांगताएं (उपरोक्त व्यापक श्रेणियों में से किन्हीं दो या दो से अधिक दिव्यांगताएं)	दो (एक पुरूष के लिए तथा एक महिला के लिए)	वही

V.	**दिव्यांगजनों के जीवन सुधारने के निमित्त सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान या नवप्रवर्तन या उत्पाद विकास के लिए पुरस्कार**		
(i)	दिव्यांगजनों का जीवन सुधारने के निमित्त सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान या प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन	एक	एक लाख रुपये का नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
(ii)	दिव्यांगजगनों के जीवन सुधारने के निमित्त विनिर्माण के लिए नए लागत प्रभावी उत्पाद का विकास	दो	वही
VI.	**दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण के सृजन में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार**		
(i)	सरकारी विभाग या कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय	एक	एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
(ii)	स्थानीय निकाय	एक	दो लाख रुपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
(iii)	निजी क्षेत्र या गैर सरकारी संगठन	एक	दो लाख रुपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
VII.	**पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ जिले के लिए पुरस्कार**	एक	एक शील्ड, एक प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पत्र, कोई नकद पुरस्कार नहीं
VIII.	**नैशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन की सर्वश्रेष्ठ राज्य चैनेलैजिंग एजेंसी**	एक	एक शील्ड, एक प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पत्र
IX.	**उत्कृष्ट सृजनशील वयस्क दिव्यांगजनों के लिए पुरस्कार**	दो (एक पुरुष के लिए और एक महिला के लिए)	प्रत्येक पुरस्कार प्राप्त कर्त्ता के लिए पचास हजार रुपये नकद, एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
X.	**सर्वश्रेष्ठ सृजनशील दिव्यांग बच्चे के लिए पुरस्कार**	दो (एक बालक के लिए तथा एक बालिका के लिए)	प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता के लिए पचास हजार रूपए नकद, एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
XI.	**सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस**	एक	एक लाख रुपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
XII.	**सर्वश्रेष्ठ सुगम्य वेबसाइट**		
(i)	सरकारी निकाय	एक	एक शील्ड, एक प्रमाणपत्र और एक प्रशस्ति पत्र
(ii)	पीएसयू या स्थानीय निकाय	एक	वही
(iii)	निजी क्षेत्र	एक	वही
XIII.	**(i) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य** **ii) सुगम्य भारत अभियान का कार्यान्वयन**	एक एक	एक शील्ड, एक प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पत्र एक शील्ड, एक प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पत्र

XIV.	**सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी**	4 (दो पुरुष के लिए और दो महिला के लिए]	प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता के लिए एक लाख रूपए नगद, एक प्रमाण पत्र, एक प्रशस्ति पत्र और एक शील्ड

2.2 पुरस्कारों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने और पुरस्कार विजेताओं के चयन की प्रक्रिया:-

(i) प्रमुख राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से अनुबंध-क से अनुबंध-थ पर दिए गए निर्धारित आवेदन प्रपत्र में उपरोक्त पैरा 2.1 में यथा विहित श्रेणियों में पात्र उम्मीदवारों या संस्थापनों या संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

(ii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करते हुए केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लिखेगा।

2.3 एजेंसियां अथवा व्यक्ति जो नामांकन कर सकते हैं तथा नामांकनों को अग्रेषित करने संबंधी प्रक्रिया:-

(i) केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को निर्धारित तिथि तक अपनी अनुशंसाएं अग्रेषित करेंगे।

(ii) भूतपूर्व पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता भी अनुशंसा कर सकते हैं और आवेदन भेज सकते हैं।

(iii) निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर पुरस्कार हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

2.4 प्राप्तनामांकनों की छटाई के लिए छानबीन समितियां:-

(i) राष्ट्रीय पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं की छटाई के लिए छानबीन समितियां होंगी। छानबीन समिति में निम्नलिखित में से, अध्यक्ष सहित चार से पांच सदस्य होंगे:-

क) केन्द्र सरकार के अपर सचिव तथा उनसे ऊपर के रैंक के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी अथवा प्रख्यात सरकारी संस्थानों के अधिकारी;

ख) दिव्यांगताकेक्षेत्र में प्रख्यात व्यक्ति तथा विशेषज्ञ अथवा पुरस्कार के संगत क्षेत्र में विशेषज्ञ;

ग) गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि;

घ) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा विभाग के अधीन संगठनों के उप सचिव तथा इसके ऊपर के रैंक के अधिकारी छानबीन समितियों के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।

(ii) राष्ट्रीय चयन समिति छानबीन समिति की अनुशंसाओं के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं का नामांकन तय करेगी।

(iii) छानबीन समितियों के संयोजक चयन प्रक्रिया में राष्ट्रीय चयन समिति की सहायता करेंगे।

(iv) छानबीन समितियों तथा राष्ट्रीय चयन समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार में लागू वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार टीए/डीए के लिए पात्र होंगे।

(v) राष्ट्रीय पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत नामित पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं को स्पीड पोस्ट/एक्सप्रेस टेलीग्राम/फैक्स/टेलीफोन के माध्यम से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह की तिथि और स्थान के बारे में सूचित किया जाएगा। पुरस्कार चयनित व्यक्तियों या संस्था की ओर से संस्था के प्रतिनिधि द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किए जा सकते है।

2.5 राष्ट्रीय चयन समिति:-

(i) राष्ट्रीय चयन समिति द्वारा छानबीन समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं का चयन किया जाएगा।

(ii) राष्ट्रीय चयन समिति में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे:-

(i)	केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री	अध्यक्ष,पदेन
(ii)	राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	उपाध्यक्ष, पदेन
(iii)	सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य, पदेन
(iv)	अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग	सदस्य
(v)	निदेशक, ललित कला अकादमी	सदस्य
(vi)	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के प्रतिनिधि	सदस्य
(vii)	विभागाध्यक्ष, पुनर्वास विभाग, सफदरजंग अस्पताल,नई दिल्ली	सदस्य
(viii)	सीएसआईआर का प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव स्तर से नीचे नहीं)	सदस्य
(ix)	डीआरडीओ की पुनर्वास विंग के प्रतिनिधि	सदस्य
(x)	दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त	सदस्य
(xi)	अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद	सदस्य
(xii)	अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली	सदस्य
(xiii)	विशेष सचिव/अपर सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	सदस्य
(xiv)	संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	संयोजक

(iii) राष्ट्रीय चयन समिति पैरा 2.1 के सारणी में उल्लिखित किसी भी या सभी श्रेणियों या उपश्रेणियों में पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की अधिक संख्या चयनित कर सकती है।

(iv) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग चयन समिति के लिए सदस्यों को सह-वरण कर सकता है।

(v) चयन समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार में लागू वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार टीए/डीए के लिए पात्र होंगे।

(vi) राष्ट्रीय चयन समिति का निर्णय बहुमत मतदान द्वारा होगा और दोनों ओर समान मतों की सीमा में, किसी बैठक विशेष की अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

(vii) राष्ट्रीय चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा ।

2.6 चयन के लिए मानदंड:-

2.6.1 सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी अथवा स्वनियोजित दिव्यांग हेतु: -

(क) सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारियों या स्वनियोजित दिव्यांगों हेतु 20 राष्ट्रीय पुरस्कार निम्निलिखित दस विशिष्ट श्रेणियों में होंगे:-

(i) गतिविषयक दिव्यांगता

(गतिविषयक दिव्यांगता, मांसपेशी दिव्यांगता, बौनापन, तेज़ाबी आक्रमण पीड़ित, कुष्ठ रोग मुक्त, प्रमस्तिष्क घात)

(ii) दृष्टिगत ह्रास

(अंधता, निम्न दृष्टि)

(iii) श्रवण शक्ति का ह्रास

(बधिर, कम सुनने वाला व्यक्ति)

(iv) वाक और भाषा दिव्यांगता

(वाक और भाषा दिव्यांगता)

(v) विकास संबंधी विकार

(ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर, विशिष्ट विद्या दिव्यांगता)

(vi) बौद्धिक दिव्यांगता

(पहले मानसिक मंदता के रूप में जाना जाता था)

(vii) मानसिक रूग्णता

(मानसिक रूग्णता)

(viii) रक्त विकार के कारण दिव्यांगता

(हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग)

(ix) क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां

(मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग)

(x) बहु-दिव्यांगताएं

(उपरोक्त व्यापक श्रेणियों में से किन्हीं दो या दो से अधिक दिव्यांगताएं)

(ख) सरकार, सांविधिक निकायों, निगमों, स्थानीय निकायों, केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र आदि के कर्मचारी और स्वनियोजित व्यक्ति पुरस्कार के लिए पात्र होंगे।

(ग) दिव्यांगकर्मचारियों का आकलन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा: -

क्र.सं.	मानदंड	अंक
(i)	उपस्थिति में समय की पाबंदी एवं नियमितता	10%
(ii)	वरिष्ठ अधिकारियों एवं सहकर्मियों के साथ सहयोग	10%
(iii)	गतिशीलता, आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्रता आदि की सीमा	10%
(iv)	प्राकृतिक पर्यावरण, उपकरण, मशीन तथा प्रक्रिया आदि में समायोजन हेतु कोई अत्यधिक मांग नहीं	10%
(v)	दिव्यांगता के संदर्भ में किसी विशेष पारिश्रमिक की कोई अतिरिक्त मांग नहीं	10%
(vi)	दिव्यांगता का प्रकार	10%
(vii)	दिव्यांगता की तीव्रता	10%
(viii)	गैर-दिव्यांग सहकर्मियों की तुलना में उसके कार्य परिमाण/उत्पादन का अनुपात	10%
(ix)	दिव्यांग होने के बाद अर्जित शिक्षा/योग्यता	10%
(x)	दिव्यांग होने के बाद योग्यता के कारण कैरियर में प्रगति	10%

(घ) दिव्यांग स्व-नियोजित व्यक्तियों का आकलन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा:-

क्र.सं.	मानदंड	अंक
(i)	व्यवसाय से अनुकूलतम अथवा उल्लेखनीय लाभ अर्जित किया जा रहा है।	15%
(ii)	दिव्यांगजन व्यवसाय के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं।	10%
(iii)	दिव्यांगजन अपने कर्मचारियों को भुगतान करता है और वित्तीय संस्थानों को ऋण की किस्तों का नियमित भुगतान करता है।	10%
(iv)	पिछले पांच वर्षों का वार्षिक कारोबार	15%
(v)	उद्यम में लागू किया गया नवाचार	10%

(vi)	बिना किसी सहारे के किस सीमा तक उद्यम को संचालित कर सकता है।	10%
(vii)	उद्यम में नियोजित दिव्यांगजनों की संख्या	10%
(viii)	किसी भी तीव्रता और प्रकार की दिव्यांगता होने के बावजूद संस्थान की स्थापना की एवं उसे सुचारू रूप से सफतापूर्वक चलाया	10%
(ix)	विपरीत सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां होने के बावजूद संस्थान की स्थापना की एवं उसे सफलतापूर्वक चलाया	10%

(ङ) जांच समिति द्वारा दिव्यांग कर्मचारियों या स्व-नियोजित दिव्यांगजनों के वर्ग में पुरस्कार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करते समय ग्रामीण तथा शहरी दोनों दिव्यांगजनों, दिव्यांग महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और एक समान क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।

(च) आवेदन अनुबंध-क में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

2.6.2 (क) सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं हेतु: -

(i) 3 उपश्रेणियों(क) सरकारी संगठन, (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान या स्वायत्त निकाय या स्थानीय सरकारी निकाय तथा (ग) निजी या गैर सरकारी संगठन के तहत दिव्यांगजनों के उत्कृष्ट नियोक्ताओं का आकलन निम्नलिखित मानदंड के आधार पर किया जाएगा : -

क्र.सं.	मानदंड	अंक
(i)	कि दिव्यांगजनो के नियोजन की न्यूनतम शर्त को ध्यान में रखते हुए उस वर्णित प्रतिष्ठान में कम से कम 10% कर्मचारी दिव्यांग हैं, (100 अथवा अधिक दिव्यांगजनों को नियोजित करने वाले बडे प्रतिष्ठानों के मामले में 10% की शर्त का दृढता से अनुपालन किया जाना आवश्यक नहीं है)	20%
(ii)	कि जहां कहीं आवश्यक हो, मशीनरी में मामूली समायोजन/संशोधन किए गए हैं	5%
(iii)	कि कार्यस्थल पर बाधामुक्त पहुंच सहित आवश्यक पर्यावरणीय उपांतरण किए गए हैं	10%
(iv)	कि दिव्यांग कर्मचारियों के लिए वेतन की दर सहित वही सेवा शर्तें लागू हैं जो समान कार्य हेतु अन्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित हैं	15%
(v)	कि नियोजकों ने दिव्यांगजनों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है	10%
(vi)	कि जहां आवश्यक तथा व्यवहार्य है, आवास एवं परिवहन आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं	10%
(vii)	प्रतिधारण दर	10%
(viii)	कर्मचारियों का आकलन; तथा	10%
(ix)	सुनिश्चित की गई उत्पादकता	10%

(i) आवेदन अनुबंध-ख में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

2.6.2(ख) सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट अधिकारी या एजेंसी:

(i) दिव्यांगजनों के नियोजन अधिकारी/संस्था की श्रेणी के अंतर्गत दो राष्ट्रीय पुरस्कार होंगे, निम्नलिखित दो उप श्रेणियों में एक-एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा: -

(क) स्वायत्त सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और

(ख) निजी / गैर-सरकारी संगठन या अधिकारी

(ii) दिव्यांगजनों के नियोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोजन अधिकारी का आकलन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा:-

क्र.सं.	मानदंड	अंक
(i)	कि उसने पिछले 5 वर्षों के दौरान कम से कम 50% पंजीकृत बेरोजगार दिव्यांगजनों को नियोजित कराया और उनमें से कम से कम 30% महिलाएं थीं;	20%
(ii)	पिछले पांच वर्षों के दौरान नियोजित दिव्यांगजनों की कुल संख्या	10%
(iii)	पिछले पांच वर्षों के दौरान उसके द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई एवं उससे पंजीकृत लोगों का नियोजन पिछले वर्ष के अंत तक सर्वोत्कृष्ट रहा है;	25%
(iv)	कि नियोजन अधिकारी का व्यवहार पंजीकृत दिव्यांगजनों के प्रति सकारात्मक एवं सहायतापूर्ण रहा है;	20%
(v)	वर्णित वर्ष में छोड कर जाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत 20% से अधिक नहीं होना चाहिए;	15%
(vi)	नियोजन अधिकारी दिव्यांगजनों के सभी वर्गों को नियोजन प्रदान करेगा और नियोजन हेतु सहायता करते समय उनमें संतुलन बनाएं रखेगा;	10%

(iii) आवेदन अनुबंध-ग में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

2.6.3 (क) सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हेतु:-

(i) विशेष प्रकार की दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को दो राष्ट्रीय पुरस्कार (व्यावसायियों और गैर-व्यावसायियों को एक-एक) प्रदान किए जाएंगे।

(ii) ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने किसी वर्ष विशेष के दौरान दिव्यांगों के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। व्यक्ति की उत्कृष्टता का निर्धारण निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा:-

क) संगठन, जिसमें वह कार्य करता/करती है वह उसे उत्कृष्ट मानता है।

ख) वह पिछले 10 वर्षों के दौरान नए कार्यक्रम अथवा सेवाएं शुरू करने के लिए उत्तरदायी है जिनके फलस्वरूप विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगजन लाभांवित हुए हैं।

ग) संस्थान के वेतनभोगी अधिकारी चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। हालांकि, दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के वेतनभोगी कार्यकर्त्ता/अधिकारी पात्र हो सकते है।

घ) उसका योगदान दिव्यांग कल्याण/पुनर्वास/शिक्षा/प्रशिक्षण आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट होना चाहिए।

ड.) सामुदायिक पुनर्वास हेतु पुनर्वास मॉडल के विकास तथा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में इसके कार्यान्वयन में उसका योगदान।

च) दिव्यांगों के कल्याण एवं समग्र विकास हेतु समर्पित तथा दिव्यांगों के अधिकारों एवं समान अवसरों के बारे में समुदाय को संवेदनशील बनाने वाले उत्कृष्ट व्यक्ति।

छ) दिव्यांगों के लिए व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए गए कार्य की गुणतत्ता और इस प्रयोजन हेतु उसके महत्व को भी उचित तरजीह दी जाएगी।

ज) उसने असाधारण व्यावसायिक उपलब्धियां हासिल की हो।

(iii) आवेदन अनुबंध-घ में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

2.6.3 (ख) सर्वश्रेष्ठ संस्थान हेतु:-

(i) इस श्रेणी के अंतर्गत दो राष्ट्रीय पुरस्कार होंगे। निम्नलिखित दो उप श्रेणियों के अंतर्गत एक-एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा: -

(क) संगठन, जो दिव्यांगजनों को समावेशी तरीके से व्यापक सेवाएं प्रदान करते है, तथा

(ख) संगठन, जो दिव्यांगज बच्चों/व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं।

(ii) इस श्रेणी में पुरस्कार प्रदान करने हेतु मानदंड निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	मानदंड	अंक
(i)	संस्थान ने विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं से ग्रस्त लोगों के िलए व्यापक सेवा शुरू की है।	10%
(ii)	नए उपकरणों के उपयोग को अपनाया है	10%
(iii)	नई सेवाएं प्रदान की है।	15%
(iv)	मौजूदा सेवाओं में सुधार हेतु नई कार्यनीतियां शुरू की हैं	10%
(v)	पुनर्वास कार्य में प्रदाताओं के साथ अनुवती कार्रवाई की है	5%
(vi)	शिक्षा / प्रशिक्षण / पुनर्वास आदि के क्षेत्र में उपलब्धियां उत्कृष्ट होनी चाहिए।	10%
(vii)	संस्थान के पास संबद्ध क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए	10%
(viii)	अपने मुख्यालय के आस-पास संपर्क सेवाओं के विस्तार में संस्थान का योगदान	5%
(ix)	विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगों के पुनर्वास हेतु समुदाय को प्रोत्साहित कराना, उसे शामिल करना तथा सहभागिता सुनिश्चित करना	10%
(x)	संस्थानों का चयन करते समय दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थानीय सहभागिता के माध्यम से स्वैच्छिक कार्रवाई को उचित तर्जी दी गई	5%
(xi)	भौगोलिक क्षेत्र जिसमें संस्थान सेवाएं प्रदान कर रहा है	5%
(xii)	दिव्यांगता के वर्ग (वर्गों), जिनमें संस्थान सेवाएं प्रदान कर रहा है	5%

(iii) आवेदन अनुबंध-ङ में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

2.6.4 प्रेरणा स्रोत हेतु:-

(क) निम्नलिखित 10 श्रेणियों में 20 राष्ट्रीय पुरस्कार होंगे, जिन्हें उन दिव्यांगजनों को प्रदान किया जाएगा जो अपने चयनित क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के कारण दिव्यांग नागरिकों के लिए एक उदाहरण सिद्ध हो सकते हैं। दिव्यांगता के निम्नलिखित उप-वर्गों में प्रत्येक श्रेणी में दो पुरस्कार – एक पुरूष के लिए और एक महिला के लिए प्रदान किए जाएंगे:-

(i) गतिविषयक दिव्यांगता

(गतिविषयक दिव्यांगता, मांसपेशी दिव्यांगता, बौनापन, तेज़ाबी आक्रमण पीड़ित, कुष्ठ रोग मुक्त, प्रमस्तिष्क घात)

(ii) दृष्टिगत ह्रास

(अंधता, निम्न दृष्टि)

(iii) श्रवण शक्ति का ह्रास

(बधिर, कम सुनने वाला व्यक्ति)

(iv) वाक और भाषा दिव्यांगता

(वाक और भाषा दिव्यांगता)

(v) विकास संबंधी विकार

(ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर, विशिष्ट विद्या दिव्यांगता)

(vi) बौद्धिक दिव्यांगता

(पहले मानसिक मंदता के रूप में जाना जाता था)

(vii) मानसिक रूग्णता

(मानसिक रूग्णता)

(viii) रक्त विकार के कारण दिव्यांगता

(हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग)

(ix) क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां

(मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग)

(x) बहु-दिव्यांगताएं

(उपरोक्त व्यापक श्रेणियों में से किन्हीं दो या उससे अधिक दिव्यांगताएं)

हालांकि, यदि किसी एक अथवा अधिक उप-वर्गों में उपयुक्त व्यक्ति नहीं पाए जाते हैं तो पुरस्कार अन्य उप-वर्गों के अतिरिक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को प्रदान किए जाएंगे।

(ख) आवेदन अनुबंध-च में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

2.6.5 दिव्यांगजनों के जीवन सुधारने के निमित्त सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान या नवप्रवर्तन या उत्पाद विकास के लिए पुरस्कार:-

(क) एक राष्ट्रीय पुरस्कार दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए सर्वेश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान या प्रौद्योगिकीय अभिनवीनता हेतु दिया जाएगा और दो पुरस्कार दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से नए किफायती उत्पाद के विकास हेतु प्रदान किए जाएंगे।

(ख) अभिनव परियोजनाओं या प्रौद्योगिकी के लिए निम्नलिखित चयन मानदंड होंगे:-

(i) उत्कृष्ट उपकरण, सहायक यंत्र अथवा अनुकूलन यंत्र का विकास जो दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा प्राप्त करने, रोजगार प्राप्त करने अथवा उसे बनाए रखने एवं समुदाय के सामाजिक-आर्थिक जीवन में पूर्ण रूप से समेकित होने में उसकी क्षमता में उल्लेखनीय सुधार करता है; तथा

(ii) दिव्यांगजनों की गतिशीलता में वृद्धि करने, उत्पादकता अथवा रोजगार में वृद्धि करने, यंत्र की अनुरक्षण एवं मरम्मत की क्षमता में यंत्र की प्रभावकारिता।

(ग) सरल एवं सर्वाधिक किफायती अनुकूलन प्रौद्योगिकी के लिए निम्नलिखित मानदंड होंगे:-

i) कम लागत वाले संसाधनों का प्रयोग करते हुए दिव्यांगजनों की गतिशीलता बढ़ाने में इसकी प्रभावोत्पादकता।

ii) कम लागत वाले संसाधनों का प्रयोग करते हुए दिव्यांगजनों की उत्पादकता एवं स्वरोजगार को बढ़ाने हेतु अपनी आंतरिक क्षमता के सर्वोत्कृष्ट उपयोग में सहायक होने में इसकी प्रभावोत्पादकता।

iii) कम लागत वाले संसाधनों का प्रयोग करते हुए दिव्यांगजनों में संचार को सुगम बनाने में इसकी प्रभावोत्पादकता।

iv) कम लागत वाले संसाधनों का प्रयोग करते हुए दिव्यांगजनों को शिक्षा प्रदान करने में इसकी प्रभावोत्पादकता।

v) कम लागत वाले संसाधनों का प्रयोग करते हुए दिव्यांगजनों को मनोरंजन प्रदान करने में इसकी प्रभावोत्पादकता।

vi) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नियुक्त उच्चस्तरीय समिति द्वारा अपनाया गया अन्य काई मानदंड। इस समिति का निर्णय अंतिम होगा।

(घ) आवेदन अनुबंध-छ में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

2.6.6 दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य हेतु:-

(क) बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए सरकारी क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम तथा निजी क्षेत्र को एक-एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नियोक्ता द्वारा अपने कार्य परिसर में दिव्यांगजनों को बाधामुक्त सुविधा

एवं कार्य की परिस्थितियां उपलब्ध कराई गई हों। कार्यस्थल आवागमन की दृष्टि से आसान हो, शौचालय सुविधाओं और सांकेतिक भाषा तथा अन्य संकेतों के माध्यम से दिए गए निर्देशों से युक्त हो, जो दिव्यांगजनों की आवाजाही को सुगम्य बनाता हो और अपने समग्र कार्य वातावरण में उन्हें समाहित करता हो।

(ख) आवेदन अनुबंध-ज में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

2.6.7 सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार हेतु: -

(क) पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ जिले को दिया जाएगा, जिसने जिला पुनर्वास केंद्र के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करके उत्कृष्ट कार्य किया है। यह पुरस्कार चयनित जिले से कार्यान्वयन एजेंसी के कलेक्टर और नोडल अधिकारी को दिया जाएगा। एक सर्वोत्तम जिले के चयन के लिए मानदंड इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	मानदंड	अंक
(i)	कार्यनीति एवं आयोजन में स्पष्टता;	30%
(ii)	जिला प्रशासन और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों / एजेंसियों की सहभागिता;	20%
(iii)	जिला केन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाओं के रूप में समग्र कार्य निष्पादन;	20%
(iv)	एडिप योजना के उपयोग सहित दिव्यांगजनों के लाभार्थ विभिन्न विभागों की योजनाओं और संसाधनों में समाभिरूपता; तथा	15%
(v)	पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता, अपशिष्ट निपटान आदि जैसी निवारक कार्यनीति के विशेष संदर्भ में सेवाओं के प्रावधान की पद्धतियों में नवाचार आदि।	15%

(ख) आवेदन अनुबंध-झ में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

2.6.8 सवेश्रेष्ठ राज्य परिचालन अभिकरण हेतु:-

(क) सर्वश्रेष्ठ राज्य परिचालन अभिकरण हेतु पुरस्कार का आकलन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा:-

क्र.सं.	मानदंड	अंक
(i)	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान संवितरित ऋण की राशि	25%
(ii)	लाभार्थियों की संख्या, जिन्हें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण निर्गत किया गया था।	15%
(iii)	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान देय राशि में से लाभार्थियों से वसूल की गई राशि का प्रतिशत	20%
(iv)	पिछले वित्तीय वर्ष तक निर्गत धनराशि के उपयोग का प्रतिशत	20%
(v)	एनएचएफडीसी को देय पुनर्भुगतान राशि का प्रतिशत	20%

(ख) यह पुरस्कार उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर प्रदान किया जाएगा बशर्ते राज्य परिचालन अभिकरण ने मानदंड (iii), (iv) और (v) के लिए चयन समिति द्वारा निर्धारित मानक स्तर को पूरा करते हुए संतोषजनक रूप में कार्य किया है।

(ग) आवेदन अनुबंध-ञ में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

2.6.9 एवं 2.6.10 उत्कृष्ट सृजनशील दिव्यांग वयस्क व्यक्ति एवं बालक/बालिका हेतु:-

(क) दिव्यांगता से ग्रस्त वयस्कों को उनके उत्कृष्ट सृजनात्मक कार्य के लिए दो पुरस्कार कला, साहित्य, संस्कृति के क्षेत्र में तथा दिव्यांगजनों द्वारा किए गये किसी अन्य असाधारण सृजनात्मक कार्य/योगदान के लिए प्रदान किए जाएंगे, जिसका निर्णय चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

(ख) दो पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चों को उत्कृष्ट रचनात्मक कार्यों के लिए प्रदान किए जायेंगे, जिनमें एक बालक तथा एक बालिका को कला, साहित्य, संस्कृति या अन्य किसी क्षेत्र में किए गए असाधारण सृजनात्मक कार्य के लिए एक-एक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिसका निर्णय चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

(ग) आवेदन क्रमश: अनुबंध-ट एवं ठ में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

2.6.11 सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस हेतु:-

(क) सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस के लिए एक पुरस्कार होगा। ब्रेल प्रेस का आकलन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा:-

क्र.सं.	मानदंड	अंक
(i)	वह अवधि जब से प्रेस ब्रेल सामग्री का प्रकाशन कर रही है	5%
(ii)	मुद्रित प्रकाशनों की संख्या	15%
(iii)	भाषाओं की संख्या, जिनमें प्रकाशन प्रकाशित किए जा रहे हैं	15%
(iv)	प्रकाशित स्कूल / कॉलेज की पुस्तकों की संख्या	25%
(v)	पिछले तीन वर्ष में प्रत्येक वर्ष मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या	10%
(vi)	पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मुद्रित टेक्टाइल स्कैचों जैसे ग्राफ, ज्यामितीय चित्रों आदि की संख्या	10%
(vii)	कुल कारोबार, व्यय तथा लाभ/हानि सहित ब्रेल प्रेस की वित्तीय स्थिति	20%

(ख) इस प्रस्ताव हेतु आवेदन अनुबंध-ड के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत किए जाएंगे।

2.6.12 सर्वोत्तम सुगम्य वेबसाइट हेतु:-

(क) इस श्रेणी में कुल 3 पुरस्कार होंगे। ऐसे पात्र (i) सरकारी संगठन, (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्तशासी / स्थानीय सरकारी निकाय और (iii) निजी / गैर सरकारी संगठन प्रत्येक को एक-एक पुरस्कार दिया जाएगा जिनकी वेबसाइट दिव्यांगजनों के अनुकूल होगी।

(ख) आवेदकों का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों पर किया जाएगा :

i) यह डब्ल्यूसीएजी 2.0 की एए स्तर के दिशा निर्देशों को पूरा करता है।

ii) दृष्टि दिव्यांगजन स्क्रीनरीडर सॉफ्टवेयर प्रयोग कर सकता है।

iii) माउस का प्रयोग करने में कठिनाई महसूस करने वाले व्यक्ति आवाज पहचान सॉफ़्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं जिससे वर्बल कमांड करने वाले कंप्यूटर पर कार्य किया जा सकता है।

iv) इसमें पाठ के आकार और स्पेस को बदलने की सुविधा हो।

v) इसमें पाठ की कलर स्क्रीन बदलने की सुविधा हो।

vi) क्या वेबसाइट मोबाइल फोन पर प्रयोग की जा सकती है।

vii) क्या वेबसाइट नियमित अद्यतन की जाती है।

(ग) आवेदन अनुबंध-ढ में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

2.6.13 सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार के लिए:-

(क) एक राष्ट्रीय पुरस्कार उस सर्वश्रेष्ठ राज्य को प्रदान किया जाएगा, जिसने

(i) दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया हो और सर्वश्रेष्ठ राज्य के चयन के लिए मानदंड इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	मानदंड	अंक
(i)	दिव्यांगजनों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में और श्रेष्ठ स्वरूप की संस्थात्मक अवसंरचना की स्थापना, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त सम्मिलित हैं; करने का समग्र आयोजन एवं रणनीति	10%

(ii)	दिव्यांगजनों, जिन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, की प्रतिशतता	10%
(iii)	आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत गंभीर स्वरूप की बहु दिव्यांगताग्रस्त अभिज्ञात व्यक्तियों की प्रतिशतता	10%
(iv)	निम्नलिखित केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत राज्य की उपलब्धियां (उनके नोशनल आबंटन की प्रतिशतता में): - (i) डीडीआरएस - 5 % (ii) एडिप - 5% (iii) सिपडा - 5%	15%
(v)	उन सरकारी प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों की प्रतिशतता, जिनमें निम्न व्यवस्था विद्धमान हो: (क) रेलिंग युक्त रैंप (ख) विशेष अध्यापक (ग) दिव्यांग अनुकूल शौचालय	10%
(vi)	दिव्यांगजन, जिन्हें उनके लिए विनिर्धारित 3% कोटा के विरूद्ध सरकारी नौकरी प्रदान की गई है	10%
(vii)	सार्वजनिक स्थानों में व्यवधान मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए किए गए विशेष उपाय	10%
(viii)	कुल राज्य योजना परिव्यय की % के रूप में दिव्यांगजनों से संबंधित राज्य क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय	10%
(ix)	पिछले पांच वर्षों के दौरान उन दिव्यांगजनों की प्रतिशतता, जिन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया	05%
(x)	राज्य मार्गीकृत अभिकरण द्वारा एनएचएफडीसी से उसके नोशनल आबंटन के % के रूप में उपयोग किया गया ऋण	10%

(ii) आवेदन अनुबंध-ण में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

(ख) एक राष्ट्रीय पुरस्कार उस सर्वश्रेष्ठ राज्य को प्रदान किया जाएगा, जिसने

(i) सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन में असाधारण कार्य किया हो और सर्वश्रेष्ठ राज्य के चयन के लिए मानदंड इस प्रकार हैं:-

सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के ब्यौरे

क्र. सं.	मानदंड	अंक
1.	i) राज्य में सार्वजनिक भवनों* की कुल संख्या ii) बाधा मुक्त पर्यावरण के निर्माण के लिए पहचाने गये सार्वजनिक भवनों* की कुल संख्या iii) उपरोक्त (ii) में से सुगम्य भारत अभियान निधि के तहत सुगम बनाए गए सार्वजनिक भवनों की कुल संख्या * कार्यालय, सिनेमा हॉल, रंगमंच, पार्क, अस्पताल, संग्रहालय, पुलिस स्टेशन, पर्यटक स्थान, स्मारक, शैक्षिक संस्थान, बैंक, डाकघर, एटीएम, वाणिज्यिक परिसर, बाजार स्थान, सड़कें, पुस्तकालय, न्यायालय इत्यादि।	5%

2.	(i) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भेजे गए लागत अनुमानों की कुल संख्या (ii) निधियां जारी किए गए भवनों की कुल संख्या (2015-16 से वित्तीय वर्षवार ब्यौरे दिए जाएं)	5%
3.	निम्नलिखित विवरणों के साथ पुनर्निर्मित भवनों की कुल संख्या क) सुगम्यता मानकों के अनुसार चिन्हित पार्किंग ख) चिन्हित स्थल को पार्किंग से जोड़ते हुए सुगम्य मार्ग ग) पार्किंग से मुख्य सुगम्य प्रवेश एवं कमरों तक के लिए स्पर्शीय टाइलें/फुटपाथ घ) सुगम्य रिसेप्शन काउंटर ङ) सुगम्य प्रवेश द्वार / गलियारे च) रैंप - जहां उतार/चढ़ाव हैं या लिफ्ट नहीं हैं छ) सुगम्य लिफ्ट ज) संकेत (दृश्य-श्रव्य) झ) प्रत्येक तल पर सुगम्य शौचालय ञ) सुगम्य सीढ़ी (रंग विषमता पट्टी और निरंतर हैंडरेल।	50%
4.	i) राज्य कोष से सुगम्य बनाएं गए भवनों की कुल संख्या । ii) सार्वजनिक भवनों की सुगम्यता सुधारनें के लिए की गई अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां।	10% 10%
5.	(i) विभाग के तहत के तहत टर्मिनलों / डिपो / बसों (बेड़े) की कुल संख्या (ii) पूरी तरह से सुगम्य बनाए गए टर्मिनलों / डिपो / बसों (बेड़े) की कुल संख्या (iii) सुगम्य नहीं बनाए गए टर्मिनलों / डिपो / बसों (बेड़े) की कुल संख्या	10%
6.	(i) राज्य सरकार की वेबसाइटों की कुल संख्या। (ii) सुगम्य भारत अभियान निधि के तहत पहचान की गई और सुगम्य बनाई गई वेबसाइटों की कुल संख्या (iii) राज्य निधि से सुगम्य बनाई गई वेबसाइटों की कुल संख्या (iv) सूचना की सुगम्य सुधाने के लिए की गई अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां जैसे कि ब्रेल लिपी में वार्षिक रिपोर्टें, दस्तावेजों की सुगम्य विषयवस्तु तैयार करना	10%

(ii) आवेदन अनुबंध-त में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

2.6.14 सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी हेतु:-

(क) खेल के क्षेत्र में दिव्यांगजनों की असाधारण सृजनशीलता के लिए असाधारण दिव्यांगज खिलाडियों को चार राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। चयन के लिए मानदंड इस प्रकार होंगे:-

क्र.सं.	मानदंड	अंक
(i)	अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल स्पर्धाओं की संख्या, जिनमें भाग लिया गया	20%
(ii)	पिछले 3 वर्षों के दौरान हासिल अंतर्राष्ट्रीय पदकों की संख्या	30%

(iii)	राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल स्पर्धाओं में प्रतिभागियों की संख्या	15%
(iv)	पिछले 3 वर्षों के दौरान हासिल राष्ट्रीय पदकों की संख्या	20%
(v)	दिव्यांगजनों से संबंधित खेल गतिविधियों में अन्य काई उपलब्धि	15%

(ख) आवेदन अनुबंध-थ में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे।

3. प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का कैलेंडर

पुरस्कारों के संबंध में प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का कैलेंडर **अनुबंध-द** पर दिया गया है।

4. पुरस्कार संवितरण:

(i) ये पुरस्कार "अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस" के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रदान किए जाएंगे।

(ii) पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति और उनके साथ रहने वाले एक व्यक्ति के ठहरने और खानपान की व्यवस्था पर होने वाला व्यय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।

(iii) पुरस्कार वितरण समारोह के एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए यात्रा व्यय और आवास की व्यवस्था की जाएगी और इस पर होन वाले व्यय की प्रतिपूर्ति दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

(iv) पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति और उनके साथ रहने वाले व्यक्तियों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की स्वीकार्यता केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी के समकक्ष होगी।

डॉली चक्रबर्ती, संयुक्त सचिव

अनुबंध-क

राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए संस्तुत दिव्यांग कर्मचारी /स्वनियोजित दिव्यांग व्यक्ति का विवरण

1.	नाम: (क) अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में)	
	(ख) हिंदी में	
2.	पता: (क) आवास	
	(ख) कार्यालय	
3.	दूरभाष नं. (क) आवास	
	(ख) कार्यालय	
4.	फैक्स नं.(क) आवास	
	(ख) कार्यालय	
5.	ई-मेल पता, यदि कोई हो	
6.	लिंग	
7.	जन्म-तिथि / आयु	
8.	दिव्यांगता का स्वरूप / श्रेणी	
9.	दिव्यांगता का प्रतिशत (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए)	
10.	शैक्षणिक योग्यता: (क) शैक्षिक	
	(ख) तकनीकी	

	दिव्यांगता की शुरुआत के बाद अर्जित शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा स्पष्ट रूप से दिया जाना चाहिए। (प्रमाण पत्र और प्रशंसा पत्र संलग्न किए जाए)	
11.	प्राप्त प्रशिक्षण, यदि कोई हो:	
	(क) संस्थान / संगठन का नाम	
	(ख) पाठ्यक्रम का नाम	
	(ग) पाठ्यक्रम की अवधि	
12.	अनौपचारिक रूप से अर्जित अनुभव का ब्यौरा	
13.	कर्मचारी हैं अथवा स्वनियोजित	
14.	यदि कर्मचारी हैं तो	
	(क) नियोजक का नाम	
	(ख) पदनाम अथवा धारित पद	
	(ग) वेतनमान तथा प्राप्त वेतन	
	(घ) संबद्ध कार्य का स्वरूप	
	(ड.) उसकी उत्पादकता उसके गैर- दिव्यांगता सहकर्मियों की तुलना में 10% से अधिक है अथवा कम	
	(च) सहकर्मियों के साथ संबंध	
	(छ) कार्य करने में स्वतंत्रता (ग्रेडिंग विकल्प पर वृत्त लगाए)	बहुतअच्छा अच्छा निराशाजनक
	(ज) अभ्यर्थी के बारे में लगभग 200 शब्दों में दिव्यांगता से उत्पन्न नुकसान से किए गए संघर्ष का ब्यौरा देते हुए संक्षिप्त जीवन वृत्त सहित आत्मनिर्भरता संबंधी टिप्पणियां (ग्रेडिंग विकल्प पर वृत्त लगाए)	बहुतअच्छा अच्छा निराशाजनक
	(झ) उपस्थिति में समयनिष्ठता तथा नियमितता (ग्रेडिंग विकल्प पर वृत्त लगाए)	बहुतअच्छा अच्छा निराशाजनक
	(ञ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान नियोजक द्वारा कर्मचारी को काई प्रोत्साहन / पुरस्कार / प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यदि हां, तो उसका विवरण दें	
	(ट) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी का सामान्य आकलन (ग्रेडिंग विकल्प पर वृत्त लगाए)	बहुतअच्छा अच्छा निराशाजनक
15.	यदि स्वनियोजित है:	
	(क) व्यापार / व्यवसाय, जिससे संबद्ध	
	(ख) मासिक आय (पिछली आयकर विवरणी/ आय प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
	(ग) पूर्णत: स्वनियोजित उद्यमी बनने के उद्देश्य से आपने अपने आप में उक्त व्यापार / व्यवसाय की दक्षताओं का उन्नयन किस प्रकार किया है?	
	(घ) सक्षम स्वनियोजित उद्यमी बनने के लिए मौजूदा व्यापार / व्यवसाय में आ रही सामाजिक-आर्थिक समस्याएं / बाधाएं	

	(ड.)(i) क्या किसी राज्य / केंद्रीय सरकार के किसी बैंक/वित्तीय संस्थान से ऋण लिया है। (पूरा ब्यौरा दें)	
	(ii) यदि हाँ, तो चुकाये जाने वाले शेष श्रृणकी राशि	
	(च) क्या आपको किसी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्थान / सहकारी बैंक ने बकायादार घोषित किया गया है	
16.	क्या पिछले 5 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किया है। यदि हां, तो कृपया बताएं: (क) पुरस्कार का नाम (ख) प्रदाता संस्था (ग) प्रदान करने का वर्ष	

(आवेदक के हस्ताक्षर तारीख सहित)

टिप्पणी :-

1. स्वनियोजित दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में विवरण को केन्द्रीय / राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी / संसद सदस्य / विधायक/ नगर निगम के पार्षद आदि द्वारा विधिवत प्रमाणित कराया जाए।
2. अनुशंसित दिव्यांग कर्मचारियों / स्वनियोजित दिव्यांग व्यक्ति के जीवन वृत्त के साथ दिव्यांगता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए तीन फोटोग्राफ संलग्न किए जाएं।
3. आवेदन के साथ कुल दिव्यांगता की तीव्रता दर्शाने वाला चिकित्सा प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

संस्तुति प्राधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित

अनुबंध-ख
राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु नियोक्ता का ब्यौरा

1.	नाम अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) एवं हिंदी में	
2.	संगठन का डाक तथा तार का पता एवं दूरभाष तथा फैक्स नं.	
3.	वेबसाइट का पता, यदि कोई हो	
4.	ई-मेल पता, यदि कोई हो	
5.	क्या सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रम / निजी संगठन है?	
6.	संगठन द्वारा किए जा रहे कार्य का स्वरूप	
7.	संगठन में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या	पुरूष महिला कुल
8.	संगठन में कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या श्रेणीवार एवं लिंग-वार ।	पुरूष महिला कुल
9.	कर्मचारियों की दिव्यांगता का स्वरूप (यदि संगठन में विभिन्न दिव्यांगता वाले व्यक्ति कार्यरत हैं, तो कृपया प्रत्येक प्रकार की दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की संख्या)	
10.	कुल कर्मचारियों की तुलना में दिव्यांग कर्मचारियों का प्रतिशत	

11.	कार्य का स्वरूप, जिसमें दिव्यांग व्यक्ति नियोजित हैं	
12.	क्या उनकी सेवा शर्तें अन्य कर्मचारियों के समान है?	
13.	क्या मशीनरी में कोई उपान्तरण किए गए हैं और निर्मित वातावरण में सुविधा प्रदान की गई है?	
14.	दिव्यांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण एवं नियोजन हेतु अब तक किए गए विशेष प्रयास और भावी योजनाएं	
15.	दिव्यांग व्यक्तियों की उत्पादकता गैर दिव्यांग कर्मचारियों की तुलना में कितनी है?	
16.	अभ्युक्तियां	

आवेदक के हस्ताक्षर तारीख सहित

संस्तुति प्राधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित

अनुबंध-ग

राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु दिव्यांगजनों के स्थापन हेतु उत्तरदायी संस्था/अधिकारी का विवरण

I. वैयक्तिक विवरण

1.	नाम अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) एवं हिंदी में	
2.	जन्म-तिथि	
3.	शैक्षणिक योग्यता	
4.	डाक का पता	
5.	तार पता / फैक्स नं.	
6.	दूरभाष नं. कार्यालय : आवास :	
7.	वेबसाइट/ई-मेल, यदि कोई हो	
8.	नियोजक का नाम व पूरा पता (सभी नियोजकों का ब्यौरा दें जिनके साथ पिछले पांच वर्षों के दौरान नियोजित रहे हैं, अंतिम नियोजक का नाम पहले दिया जाए।	
9.	इस धारित पद पर कुल सेवा	

II. कार्य निष्पादन का ब्यौरा: स्थापन और अनुवर्ती कार्रवाई: पिछले पांच वर्षों का ब्यौरा दिया जाए

क्र. सं.	वर्ष	दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या (दिव्यांगता-वार)				नियोजन तथा पंजीकरण का अनुपात /प्रतिशत	मामलों की संख्या, जिन पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई	रोजगार छोड़ने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत एवं कारणों का संक्षिप्त ब्यौरा
		पंजीकृत		**नियोजित**				
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)								

(ii)								
(iii)								
(iv)								
(v)								

III. नियोजन अधिकारी का संक्षिप्त विवरण:

आवेदक के हस्ताक्षर तारीख सहित

अनुशंसा करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित

"स्थापन" से मोटे तौर पर आशय रोजगार कार्यालय की निम्नलिखित कार्यवाही के परिणामस्वरूप नियोजक द्वारा किसी व्यक्ति को सवैतनिक कार्य हेतु स्वीकार किए जाने से है:-

(i) प्रस्तुत करने से पहले ऑर्डर की बुकिंग;

(ii) नियोजक के पास भेजे जाने वाले व्यक्तियों के बारे में पूर्व सूचना;

(iii) चयनित व्यक्तियों को भेजना और यह सत्यापन करना कि उन्हें नियोजित कर लिया गया है।(राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियमावली में दी गई परिभाषा के अनुसार)

अनुबंध-घ

राष्ट्रीय पुरस्कारों हेतु व्यक्ति का ब्यौरा

1.	नाम अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) एवं हिंदी में	
2.	पता एवं दूरभाष नं. / फैक्स नं. (यदि कोई हो)	
3.	ई-मेल पता, यदि कोई हो	
4.	जन्म-तिथि / आयु	
5.	लिंग	
6.	संस्थान जिसके साथ व्यक्ति संबद्ध है तथा स्थानीय एवं क्षेत्रीय कार्य-निष्पादन एवं कवर किए गए दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या	
7.	व्यक्ति के कार्य-निष्पादन को उत्कृष्टता किस प्रकार आंकी गयी है	
8.	व्यक्ति के संक्षिप्त जीवन-वृत्त सहित अभ्युक्तियां	
9.	दिव्यांग व्यक्तियों के साथ कितने वर्षों से कार्यरत हैं?	
10.	पिछले दस वर्षों के दौरान उसके योगदान का ब्यौरा, दस्तावेज़ी साक्ष्य सहित	
11.	क्या पहले कोई पुरस्कार प्राप्त किया है? यदि हां तो कृपया और संक्षिप्त ब्यौरा दें।	
12.	क्षेत्र / जिला / राज्य का नाम, जिसमें दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु उत्कृष्ट कार्य किया गया है।	
13.	उत्कृष्ट व्यावसायिक उपलब्धियों का विवरण, यदि कोई हो	

आवेदक के हस्ताक्षर तारीख सहित

अनुशंसा करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित

अनुबंध-ड.

राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु संस्थानों का विवरण

1.	संस्थान का नाम अंग्रेजी (बड़े अक्षरों में) एवं हिंदी में	
2.	संस्थान का डाक तथा तार का पता एवं दूरभाष नं. तथा फैक्स नं.	
3.	वेबसाइट/ई-मेल पता, यदि कोई हो	
4.	स्थापना वर्ष	
5.	क्या राज्य / केंद्र सरकार / स्थानीय निकाय से मान्यता प्राप्त अथवा सहायता प्राप्त है	
6.	संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्य का स्वरूप	
7.	संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या (दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या का दिव्यांगता-वार उल्लेख करें)	पुरूष महिला कुल
8.	संस्थान द्वारा कवर किए गए स्थानों तथा दिव्यांग व्यक्तियों सहित संस्थान द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा	
9.	दिव्यांगजनों के कल्याण एवं पुनर्वास/ दिव्यांगजनों हेतु तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान द्वारा पिछले दस वर्षों के दौरान हासिल उत्कृष्ट उपलब्धियों / योगदान का उल्लेख करें	
10.	क्या संस्थान ने पहले कोई पुरस्कार प्राप्त किया है, यदि हां, तो उल्लेख करें और संक्षिप्त ब्यौरा दें।	
11.	शासी निकाय में दिव्यांगजनों की संख्या उनके नाम तथा पते का ब्यौरा दें।	
12.	लाभान्वित दिव्यांगजनों की संख्या तथा जिला / राज्य सहित कार्य का क्षेत्र	
13.	संख्यात्मक विवरण देते हुए संस्थान द्वारा किए गए विभिन्न कार्यकलापों का ब्यौरा दें	

टिप्पणी: संगठन के ज्ञापन / लेख पिछले दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज संलग्न करें।

संस्थान के अध्यक्ष/ सचिव के हस्ताक्षर तारीख सहित

संस्तुति प्राधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित

अनुबंध-च

राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु प्रेरणा स्रोत (रोल मॉडल) का ब्यौरा

1.	नाम अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) और हिंदी में	
2.	पता एवं दूरभाष नं. तथा फैक्स नं., यदि कोई हो।	
3.	ई-मेल पता, यदि कोई हो	
4.	दिव्यांगता का स्वरूप एवं तीव्रता (दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
5.	दिव्यांगता की प्रतिशतता का उल्लेख करें और बताए कि दिव्यांग कब से हैं	

6	जन्म की तिथि	
7.	शैक्षणिक योग्यता	
8.	प्राप्त उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा / विवरण जिसे दिव्यांग व्यक्ति की दृष्टि से मौलिक तथा अनुकरणीय समझा जाए	
9.	क्या कोई राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें	

आवेदक के हस्ताक्षर तारीख सहित

संस्तुति प्राधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित

अनुबंध-छ

दिव्यांगजनों के जीवन सुधारने के निमित्त सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान या नवप्रवर्तन या उत्पाद विकास के लिए पुरस्कार हेतु आवेदन

1.	नाम अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) एवं हिंदी में	
2.	आवेदक का पता (पूरा पता) एवं दूरभाष तथा फैक्स नं.	
3.	वेबसाइट / ई-मेल, यदि कोई हो	
4.	जन्म-तिथि	
5.	शैक्षणिक योग्यता	
6.	व्यावसायिक/कार्यालयीन पदनाम एवं संगठन का पता तथा दूरभाष एवं फैक्स	
7.	आविष्कार / नवाचार का शीर्षक	
8.	i) विकास कार्य कब और कहाँ किया गया? ii) क्या यह प्रस्ताव किसी अनुसंधान प्रयोगशाला / संस्थान अथवा किसी अन्य संगठन में शोध परियोजना के रूप में किया गया था?	
9.	विस्तृत तकनीकी विवरण (अलग कागज पर लिख कर संलग्न करें)	
10.	विकास की वर्तमान अवस्था (जो मदें लागू न हों उन्हें काट दें)	विचार/ मॉडल / कार्यशील मॉडल / प्रोटोटाइप / वाणिज्यिक
11.	मौलिकता का दावा क) यह ज्ञात स्वदेशी और आयातित वस्तु से किस प्रकार भिन्न है। मौलिकता / अभिनवीनता के दावे का विस्तृत ब्यौरा दें (अलग कागज पर लिख कर संलग्न करें)। ख) क्या इसका पेटेंट करा लिया गया है? यदि हां, तो पेटेंट संख्या तथा आवेदन / स्वीकृति तथा सीलिंग की तारीख का उल्लेख करें।	
12.	वैकल्पिक उत्पादों की तुलना में लाभ का दावा (जो लागू न हों उसे काट दे) क) कम पूंजी लागत / परिचालन लागत / भार / आयतन ख) प्रत्यक्ष रूप से अथवा अटैचमेंट के रूप में उन्नत कार्य निष्पादन/सुरक्षा/परिणाम सेवा/अनुप्रयोग की रेंज/उपयोगिता ग) आयात प्रतिस्थापन तथा आत्म-निर्भरता में सहायक घ) अन्य काई विशेष गुण	

13.	क) किए गए परीक्षण/ प्रदर्शन : किए गए परीक्षणों तथा प्राप्त परिणामों का ब्यौरा दें (अलग-अलग कागज का उपयोग करें) ख) क्या कार्यशील मॉडल / प्रोटोटाईप का प्रदर्शन किया गया है/ उपयोग हेतु आपूर्ति की गई है? यदि हाँ, तो कृपया व्यक्तियों के नाम (नामों) और परीक्षण एजेंसियों के नाम (नामों) तथा पते एवं उनकी अभ्युक्तियों/परीक्षण परिणामों/प्राप्त अभिमतों का ब्यौरा दें	
14.	वाणिज्यीकरण का ब्यौरा क्या इसका वाणिज्यीक दोहन किया गया है? क) यदि हां, तो वाणिज्यीकरण की तारीख (तारीखों) एवं विनिर्माता पक्षकारों के पते तथा वार्षिक बिक्री का ब्यौरा दें ख) प्रयोक्ताओं, यदि कोई हों, के नाम और पता	
15.	क्या आपके आविष्कार / अभिनव के बारे में किसी तकनीकी अथवा वैज्ञानिक पत्रिका में कुछ प्रकाशित हुआ है? यदि हां, तो पुन- मुद्रित प्रति/कतरनें संलग्न करें।	
16.	क्या आविष्कार / अभिनवीनता को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है? यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें	
17.	कृपया बताएं कि आविष्कार दिव्यांगों को उनकी शिक्षा / रोजगार / प्रशिक्षण / पुनर्वास अथवा जीवन के किसी अन्य पहलू में किस प्रकार लाभदायक सिद्ध होगा।	
18.	आम दिव्यांग व्यक्ति अथवा किसी संस्थान / संगठन के लिए इसके किफायती होने के बारे में अपनी टिप्पणी दें	
19.	क्या विगत में कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कृपया उल्लेख करें और संक्षिप्त ब्यौरा दें।	

तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर तारीख सहित

राज्य सरकार/नियोजकों की अभियुक्तियां (जो लागू न हो उसे काट दें)।

आवेदक द्वारा किया गया कार्य, जो दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया, सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान/अभिनव/उत्पाद विकास है, पुरस्कार हेतु विचारार्थ संस्तुत किया जाता है। यह कार्य रोजगार कार्य के अंतर्गत आता नहीं आता है।

संस्थान / संगठन के प्रमुख के हस्ताक्षर, मुहर सहित

संस्तुति प्राधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित

<u>अनुबंध-ज</u>

दिव्यांगजनों हेतु बाधामुक्त वातावरण निर्मित करने में किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार संबंधी विवरण

1.	संस्था का नाम अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) एवं हिंदी में	
2.	संस्था का पता एवं दूरभाष व फैक्स नं, यदि कोई हो।	.
3.	वेबसाइट / ई-मेल पता, यदि कोई हो	

4.	संस्था का स्वरूप	
5.	प्रदत्त सुगम्य सुविधाओं का ब्यौरा	
6.	वार्षिक लाभान्वित लोगों की संख्या श्रेणीवार	
7.	प्रदत्त सुविधाओं के अन्यत्र प्रतिकृति निर्मित करने पर टिप्पणी	
8.	क्या दिव्यांगों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए शौचालयों तथा दरवाजों में बदलाव किए गए हैं और भवन में रैम्प की व्यवस्था की गई है?	
9.	क्या कार्य स्थल पर दृष्टिहीन तथा बधिर कर्मचारियों हेतु सुविधाएं प्रदान की गई हैं और उनकी शारीरिक सुरक्षा हेतु संरक्षक उपकरण प्रदान किए गए हैं? कृपया पूरा ब्यौरा दें।	

आवेदक के हस्ताक्षर तारीख सहित

संस्तुति प्राधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित

अनुबंध-झ

दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण एवं पुनर्वास में संलग्न सर्वश्रेष्ठ जिले का विवरण

1.	जिले का नाम	
2.	राज्य का नाम	
3.	जिला पुनर्वास केंद्र का कब से संचालन है?	
4.	दिव्यांग पुनर्वास के क्षेत्र में किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा	
5.	जिला केंद्र के संचालन में जिला प्रशासन, गैर-सरकारी संगठनों/स्थानीय स्तर के निकायों और जन प्रतिनिधियों की सहभागिता	
6.	दिव्यांगता की रोकथाम सहित सेवाओं के प्रावधान हेतु किए गए विशेष प्रयास	
7.	दिव्यांगजनों के लाभार्थ प्रचलित विभिन्न विकास स्कीमों में समाभिरूपता	
8.	एडिप योजना के अंतर्गत कवरेज	
9.	जागरूकता कार्यकलापों का ब्यौरा	
10.	अन्य कोई	

हस्ताक्षर तारीख सहित

अनुशंसा करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित

अनुबंध-ञ

नैशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन की सर्वश्रेष्ठ राज्य चैनेलैजिंग एजेंसी का ब्यौरा

1.	राज्य का नाम	
2.	**राज्य परिचालन संस्था** का नाम अंग्रेजी(बड़े अक्षरों में) एवं हिंदी में	
3.	एनएचएफडीसी की **राज्य परिचालन संस्था** के रूप में नामांकन का वर्ष	
4.	जीएलए के निष्पादन की तारीख	
5.	सरकारी गारंटी की तारीख	

6.	सरकारी गारंटी की राशि	
7.	एससीए से पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एनएचएफडीसी में प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	
8.	एनएचएफडीसी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	
9.	एनएचएफडीसी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एससीए को निर्गत राशि।	
10.	एससीए द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान लाभार्थियों को संवितरित धनराशि	
11.	दिव्यांगजनों की संख्या जिन्हें एससीए द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण का संवितरण किया गया	
12.	पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक एससीए से वसूली की बकाया राशि	
13.	एससीए से पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक प्राप्त वसूली की राशि	
14.	पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक वसूली की प्रतिशतता	
15.	एससीए द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वापस की गई धनराशि	
16.	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एससीए से प्राप्त हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र	
17.	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग हेतु शेष राशि के उपयोग की प्रतिशतता	

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

कार्यालय का पता, मुहर सहित

अनुशंसा करने वाले प्राधिकारी की टिप्पणियां:

अनुबंध-ट

राष्ट्रीय पुरस्कारों हेतु उत्कृष्ट रचनात्मक वयस्क दिव्यांगजनों का विवरण

1.	व्यक्ति का नाम हिंदी तथा अंग्रेजी(बड़े अक्षरों में) में	
2.	आवास का पता एवं दूरभाष नं. तथा साथ फैक्स नं. यदि कोई हो	
3.	ई-मेल पता, यदि कोई हो	
4.	वेबसाइट, यदि कोई हो	
5.	जन्म तिथि/आयु	
6.	दिव्यांगता का स्वरूप एवं तीव्रता (दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
7.	व्यवसाय	
8.	मासिक आय	
9.	रचनात्मक कार्य का ब्यौरा जिसके लिए पुरस्कार पर विचार किया जाना है	

आवेदक के हस्ताक्षर तारीख सहित

अनुशंसा करने वाल प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम एवं तारीख

टिप्पणी:

1. अनुशंसित दिव्यांगजन की स्पष्ट से दिव्यांगता दर्शाते हुए दो फोटोग्राफ जीवन-वृत्त के साथ संलग्न किए जाएं।
2. आवेदन के साथ कुल दिव्यांगता की तीव्रता दर्शाने वाला चिकित्सा प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाए।

अनुबंध-ठ

राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु उत्कृष्ट सृजनशील दिव्यांग बालक/बालिका का विवरण

1. बच्चे का नाम अंग्रेजी में (बड़े अक्षरों में) :
   तथा हिंदी में
2. जन्म-तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :
3. आवास का पता दूरभाष, तथा फैक्स :
   नं., यदि कोई हो।
4. ई-मेल, यदि कोई हो :
5. वेबसाइट , यदि कोई हो :
6. दिव्यांगता का स्वरूप एवं तीव्रता :
7. कक्षा , जिसमें अध्ययनरत है :
8. रचनात्मक कार्य का ब्यौरा जिसके लिए :
   पुरस्कार पर विचार किया जाना है

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम (बड़ेअक्षरों में):

पता:

अभ्यर्थी से संबंध:

अनुशंसा करने वाल प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम एवं तारीख

टिप्पणी:

1. अनुशंसित दिव्यांगजन की स्पष्ट रूप से दिव्यांगता दर्शाते हुए दो फोटोग्राफ जीवन-वृत्त के साथ संलग्न किए जाएं।
2. आवेदन के साथ कुल दिव्यांगता की तीव्रता दर्शाने वाला चिकित्सा प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाए।

अनुबंध-ड

सर्वश्रेष्ठ ब्रेल मुद्रण प्रेस हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

1. संगठन का नाम :
2. ब्रेल प्रेस प्रबंधक का नाम :
3. पता :
4. दूरभाष नं. :
5. फैक्स नं. :
6. ई-मेल :

7. वेबसाइट :

8. ब्रेल प्रेस की स्थापना माह:
वर्ष:

9. **ब्रेल मुद्रण क्षमता**

(क) मुद्रकों की सं.

(ख) प्रत्येक मुद्रक का ब्यौरा

क्र.सं.	मुद्रक का प्रकार	गति (कैरेक्टरस प्रति सैकेंड)	कार्यात्मक / गैर कार्यात्मक
1.			
2.			
3.			
4.			

10. प्रेस द्वारा वर्ष-वार उत्पादन (बाहरी स्रोत से किया गया कार्य शामिल न करें)

क्र.सं.	मद	2009-10	2009-10	2010-11
1.	भाषानुसार शीर्षकों की संख्या (क) हिंदी (ख) अंग्रेज़ी (ग) अन्य भाषाएं (i) (ii) (iii) कुल			
2.	संस्करणों (प्रतियों) की संख्या			
3.	पृष्ठों की सं.			
4.	स्कूली पुस्तकों की संख्या			
5.	टेक्टाइल स्केच, ग्राफ, ज्यामितीय आंकड़ों आदि की संख्या			
6.	विक्रय किए गए संस्करणों की संख्या (क) सब्सिडी प्राप्त दर पर (ख) गैर-सब्सिडी प्राप्त कुल			

11. वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष	व्यय	बिक्री से प्राप्त आय	लाभ/हानि
2008-09 2009-10 2010-11			

हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर

नाम पद

पदनाम

तारीख:

स्थान:

टिप्पणी:

(क) कृपया भाषानुसार बिक्री किए गए शीर्षकों की सूची एवं संस्करणों की संख्या शामिल की जाए।

(ख) कृपया संगठन के विधिवत लेखा परीक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ / हानि खाते की प्रतियां संलग्न करें,जिनकी बिक्री की गई।

अनुशंसा करने वाल प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम एवं तारीख

अनुबंध-ढ

राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए अनुशंसित सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन अनुकूल वेबसाइट का विवरण

1.	संगठन /अभिकरण नाम अंग्रेजी (बड़े अक्षरों में) और हिन्दी में	
2.	संगठन /अभिकरण का पता, दूरभाष और फैक्स नं. सहित	
3.	वेबसाइट / ई-मेल पता, यदि कोई हो	
4.	अभिकरण का स्वरूप	
5.	प्रदान की गई सुगम्य सुविधाओं का संक्षिप्त विवरण	
6.	वार्षिक रूप से लाभान्वित लोगों की श्रेणीवार संख्या	
7.	वेबसाइट की सुलभता विशेषताओं की रेप्लीकेबिलिटी	
8.	क्या यह डब्ल्यूसीएजी 2.0 दिशानिर्देशों के एए लेवल को पूरा करती है?	
9.	क्या इस वेबसाइट पर कोई दृष्टिहीन व्यक्ति सीनरीडर, सॉफ्टवेयर प्रयोग कर सकता है ?	
10.	क्या माउस का प्रयोग करने में कठिनाई महसूस करने वाला व्यक्ति इस पर वायस रिक्गनिशन सॉफ्टवेयर प्रयोग कर सकता है ताकि वह वर्बल कमांड पर कम्प्यूटर पर काम करने में सक्षम हो सके?	
11.	क्या इस वेबसाइट में पाठ के साईज और स्पेसिंग को	

	बदलने की सुविधा है?	
12.	क्या इसमें पाठ के कलर स्क्रीन को बदलने की सुविधा है	
13.	क्या वेबसाइट का मोबाइल फोन पर प्राप्त किया जाता है?	
14	क्या वेबसाइट को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है?	

आवेदक के संगठन के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर तारीख सहित

अनुशंसित करने वाले प्राधिकारी के दिनांक सहित हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

अनुबंध-ण

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य के संबंध में विवरण

1.	राज्य का नाम	
2.	दिव्यांग व्यक्ति को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में और श्रेष्ठ स्वरूप की संस्थात्मक अवसंरचना की स्थापना, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त सम्मिलित है, करने का समग्र आयोजन एवं रणनीति	
3.	दिव्यांगजनों, जिन्हें दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, की प्रतिशतता	
4.	आईजीएनडीपीएस के अंतर्गत गंभीर स्वरूप की बहु दिव्यांगताग्रस्त अभिज्ञात व्यक्तियों की प्रतिशतता	
5.	निम्नलिखित केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत राज्य की उपलब्धियां (उनके आवधिक राष्ट्रीय आवंटन के विरूद्ध प्रतिशतता): - (i) डीडीआरएस - 5% (ii) एडिप - 5% (iii) सिपडा-5%	
6.	उन सरकारी प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों और माध्यमिक विद्याओं की प्रतिशतता, जिनमें निम्न व्यवस्था विद्यमान हो : (क) रेलिंग युक्त रैम्प (ख) विशेष अध्यापक (ग) दिव्यांग अनुकूल शौचालय	
7.	दिव्यांगजन, जिन्हें उनके लिए विनिर्धारित 3% कोटा के विरूद्ध सरकारी नौकरी प्रदान की गई है	
8.	सार्वजनिक स्थलों में बाधा मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने और एआईसी के कार्यान्वयन के लिए किए गए विशेष प्रयास	
9.	कुल राज्य योजना परिव्यय के % के रूप में दिव्यांगजनों से संबंधित राज्य क्षेत्र योजनाओं पर व्यय	
10.	पिछले वर्षों पांच के दौरान उन दिव्यांगजनों की प्रतिशतता, जिन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया	
11.	राज्य मार्गीकृत अभिकरण द्वारा एनएचएफडीसी के उसके नोशनल आबंटन की % के रूप में उपयोग किया गया ऋण	

प्राधिकृत व्यक्ति के तारीख सहित हस्ताक्षर

संस्तुति करने वाले प्राधिकारी के तारीख सहित हस्ताक्षर

अनुबंध 'त'

सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के ब्यौरे

1.	राज्य का नाम	
2.	i) राज्य में सार्वजनिक भवनों* की कुल संख्या ii) बाधा मुक्त पर्यावरण के निर्माण के लिए पहचाने गये सार्वजनिक भवनों* की कुल संख्या iii) उपरोक्त (ii) में से सुगम्य भारत अभियान निधि के तहत सुगम बनाए गए सार्वजनिक भवनों की कुल संख्या iv) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भेजे गए लागत अनुमानों की कुल संख्या v) निधियां जारी किए गए भवनों की कुल संख्या (2015-16 से वित्तीय वर्षवार ब्यौरे दिए जाएं) vi) निम्नलिखित विवरणों के साथ पुनर्निर्मित भवनों की कुल संख्या क) सुगम्यता मानकों के अनुसार चिन्हित पार्किंग ख) चिन्हित स्थल को पार्किंग से जोड़ते हुए सुगम्य मार्ग ग) पार्किंग से मुख्य सुगम्य प्रवेश एवं कमरों तक के लिए स्पर्शीय टाइलें/फुटपाथ घ) सुगम्य रिसेप्शन काउंटर ङ) सुगम्य प्रवेश द्वार / गलियारे च) रैंप - जहां उतार/चढ़ाव हैं या लिफ्ट नहीं हैं छ) सुगम्य लिफ्ट ज) संकेत (दृश्य-श्रव्य) झ) प्रत्येक तल पर सुगम्य शौचालय ञ) सुगम्य सीढ़ी (रंग विषमता पट्टी और निरंतर हैंडरेल। vii) राज्य कोष से सुगम्य बनाएं गए भवनों की कुल संख्या । viii) सार्वजनिक भवनों की सुगम्यता सुधारनें के लिए की गई अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां। * कार्यालय, सिनेमा हॉल, रंगमंच, पार्क, अस्पताल, संग्रहालय, पुलिस स्टेशन, पर्यटक स्थान, स्मारक, शैक्षिक संस्थान, बैंक, डाकघर, एटीएम, वाणिज्यिक परिसर, बाजार स्थान, सड़कें, पुस्तकालय, न्यायालय इत्यादि।	
3.	(i) विभाग के तहत के तहत टर्मिनलों / डिपो / बसों (बेड़े) की कुल संख्या (ii) पूरी तरह से सुगम्य बनाए गए टर्मिनलों / डिपो / बसों (बेड़े) की कुल संख्या (iii) सुगम्य नहीं बनाए गए टर्मिनलों / डिपो / बसों (बेड़े) की कुल संख्या	

4.	(i) राज्य सरकार की वेबसाइटों की कुल संख्या। (ii) सुगम्य भारत अभियान निधि के तहत पहचान की गई और सुगम्य बनाई गई वेबसाइटों की कुल संख्या (iii) राज्य निधि से सुगम्य बनाई गई वेबसाइटों की कुल संख्या (iv) सूचना की सुगम्य सुधाने के लिए की गई अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां जैसे कि ब्रेल लिपी में वार्षिक रिपोर्टें, दस्तावेजों की सुगम्य विषयवस्तु तैयार करना	

अनुबंध-थ

सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ियों के संबंध में विवरण

1.	नाम अंग्रेजी (बड़े अक्षरों में) और हिंदी में	
2.	पता, दूरभाष संख्या और फ़ैक्स संख्या, यदि कोई हो।	
3.	ई-मेल का पता, यदि कोई हो	
4.	दिव्यांगता का स्वरूप ओर उसकी मात्रा (दिव्यांगता प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
5.	दिव्यांगता की प्रतिशतता का उल्लेख करें और यह कब से है	
6.	जन्म-तिथि	
7.	शैक्षणिक अर्हताएं	
8.	अंतरराष्ट्रीय स्तर खेल स्पर्धाओं की संख्या, जिनमें भाग लिया गया	
9.	पिछले 3 वर्षों के दौरान हासिल अंतरराष्ट्रीय पदकों की संख्या	
10.	राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं की संख्या जिनमें भाग लिया गया	
11.	पिछले 3 वर्षों के दौरान हासिल राष्ट्रीय पदकों की संख्या	
12.	दिव्यांगजनों से संबंधित खेल गतिविधियों में अन्य उपलब्धि	

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

पता:.....
.....
.....

उम्मीदवार के साथ संबंध.....

संस्तुतकर्त्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम तारीख सहित

नोट: आवेदन के साथ चिकित्सा प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए जिसमें कुल दिव्यांगता की प्रतिशतता दर्शाई गई होगा।